प्रस्तावना

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों के अंतर्गत विभागों/ स्वायत्त निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के अनुसार संचालित की गई अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों से अंतर्विष्ट है।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित मामले वे हैं जो वर्ष 2019-20 के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आए तथा साथ-साथ वे मामले भी हैं जो गत वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु उन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था। 2019-20 की अनुवर्ती अवधि से सम्बंधित मामलों को भी जहां आवश्यक है, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।